

## Agromitra केन्द्र करारनामा

यह करारनामा आज दिनांक ...../...../20 को  
(प्रथम पक्ष)

**Agromitra digital Solution Pvt. Ltd.**

Ahamdabad Gujarat 380051

Helpline No.- 7903406734, 9155329197

( द्वितीय पक्ष )

श्री..... पिता/पति.....  
 (प्रो.) ..... ) केन्द्र.....  
 VILL..... PO ..... PS.....  
 PANCHAYAT..... BLOCK.....  
 DISTRICT..... STATE..... PIN.....  
 M.NO..... M.NO..... W.NO.....  
 ADHAR NO..... VOTER NO ..... PAN NO .....

## Bank Detail

Bank A/c No..... IFSC CODE .....

Bank name ..... Branch.....

## -:Organization Details:-

Company/ Shop Name.....

Registration no..... GSTIN no.....

Seed license no..... Fertilizer license no.....

Pesticide license no..... Other license no .....

(द्वितीय पक्ष, जों आगे से Agromitra संचालक के द्वारा संबोधित किया जाएगा) के बीच आपसी सहमति से लिखा गया है।

यह करारनामा..... वर्ष के लिए होगा जो ...../...../20..... से शुरू होकर ...../...../20..... में समाप्त होगा इस अवधि की समाप्ती के बाद इस करारनामा का दोनों पक्षों की सहमति से रख-नवीनीकरण होता रहेगा।

1. कंपनी (**Agromitra**) अपने पंचायत स्तरीय केन्द्र, Agromitra के संचालन के लिए द्वितीय पक्ष को अधिकृत करती है।

जो कार्य क्षेत्र..... तक सीमित होगा

2 Agromitra के केन्द्र के लिए स्थान एवं जरूरी सुविधायों की व्यवस्था द्वितीय पक्ष करेगी। अगर द्वितीय पक्ष किराए पर स्थान लेती है। तो इसका किराया भी द्वितीय पक्ष ही वहन करेगी।

3 द्वितीय पक्ष Agromitra केन्द्र के संचालन हेतु जरूरी लायलेस, तराजू की व्यवस्था भी स्वयं करेगी। Agromitra केन्द्र पर व्यापार करने के लिए आवश्यक सभी प्रकार के लायलेस लेने की जिम्मेवारी द्वितीय पक्ष की होगी, कंपनी इस कार्य में द्वितीय पक्ष का सहयोग करेगी।

#### 4. Agromitra केन्द्र खोलने के लिए नियम एवं शर्तेः—

- द्वितीय पक्ष को व्यवसाय के अनुसार पूँजी का निवेश करना होगा।
- द्वितीय पक्ष को Agromitra संचालन से पहले Agromitra संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- Agromitra केन्द्र की व्यवसाय को देखते हुए प्रथम पक्ष (कंपनी) द्वारा 15 दिनों के लिए एक निश्चित क्रेडिट लिमिट तय किया जायगा अर्थात् किसी भी INVOICE का 15 दिन के अन्दर भुगतान आवश्यक है तथा 6 महिनों के व्यापार को देखकर एवं समय—समय पर क्रेडिट लिमिट पुनः निर्धारण भी किया जाएगा।
- Agromitra केन्द्र अनुबंध के समय 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा।

#### द्वितीय पक्ष को पंजियन के समय निम्नलिखित दास्तावेज उपलब्ध कराने होगे:

- a- वोटर कार्ड
- b- आधार कार्ड
- c- पैन कार्ड
- d- पासबुक की फोटो कापी
- e- लायलेस की प्रतिलिपि
- f- दुकान का किरायानामा
- g- 2 पासपोर्ट साइज फोटो
- h. केन्द्र का 1 फोटो
- i Gstin no की प्रतिलिपि

#### 5. Agromitra केन्द्र —संचालक (द्वितीय पक्ष )की जिम्मेदारियाः—

- कंपनी को खाद बीज इत्यादी की बिक्री एवं कृषि उत्पादों को खरीद में सहयोग करना
- अपने कार्य क्षेत्र (जो कंपनी एवं Agromitra केन्द्र संचालक की आपसी

सहमती से निर्धारित किया जायेगा) में पड़ने वाले गॉवों किसानों का Agromitra केन्द्र एवं इसके द्वारा किसानों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में समझाना ।

- c. किसानों को Agromitra केन्द्र का सदस्य बनाना ।
  - d. किसानों की जरूरतों (बीज, खाद, समस्याएं इत्यादीं) को कंपनी के अधिकृत अधिकारी तक यथाशीघ्र बताना ।
  - e. किसानों के खेतों में लगे फसलों का समय—समय पर Agromitra सलाहकार के माध्यम से निरिक्षण करवाना ।
  - f. सदस्य किसानों के लिए समय—समय पर आधुनिक कृषि सम्बंधित प्रशिक्षण करवाना ।
  - g. किसानों का समूह (स्वयं—सहायता समूह / किसान वलब इत्यादि) बनाना उनकी नियमित बैठक Agromitra सलाहकार के माध्यम से करवाना तथा उसमें स्वयं उपस्थित रहना ।
  - h. किसानों की खेती —सम्बंधित किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करना, आवश्यकता पड़ने पर कंपनी से संपर्क करके समाधान देना ।
  - i. किसानों की खरीद ब्रिक्री Agromitra बिजनेस ,एप्प के माध्यम से करना ।
  - J. Agromitra केंद्र पर आए हुए किसानों को सही मार्गदर्शन करने तथा Agromitra के योजनाओं को समझाने के लिए Agromitra कृषि सलाहकार को बैठ कर समझाने के लिए जगह और टेबल, कुर्सी की बेवस्था केंद्र संचालक के द्वारा किया जाएगा।
6. केन्द्र प्रचार—प्रसार के लिए आवश्यक सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी कंपनी की होगी, प्रचार —प्रसार पर आने वाले खर्च का वहन कंपनी करेगी ।
7. Agromitra संस्थान द्वारा Agromitra कृषि सलाहकार के मध्यम से Agromitra किसान सहायता केंद्र से लगभग 540 किसान और लगभग 1000 एकड़ भूमि को जोड़ा जाएगा और उन किसानों का सभी एग्री इनपुट का ऑर्डर Agromitra किसान सहायता केंद्र को ही दिया जाएगा। जिसकी पूर्ति करने की जवाबदेही केंद्र संचालक का होगा।
8. Agromitra केन्द्र पर किसी प्रकार की अतिरिक्त सेवा , उत्पाद रखने से पहले प्रथम पक्ष के अनुमति अनिवार्य है, प्रथम पक्ष की अनुमति के बिना द्वितिय पक्ष केन्द्र पर कोई भी अतिरिक्त सेवा / उत्पाद नहीं रखेगा ।
9. Agromitra केन्द्र पर उपलब्ध हाने वाले सेवाओं /उत्पादों की सूची प्रथम पक्ष अलग से द्वितिय पक्ष को उपलब्ध करवाएगी, दोनों पक्षों की सहमती से इस सूची का समय—समय पर नवीनीकरण किया जा सकेगा ।
10. Agromitra केन्द्र से किसी भी प्रकार का लेन—देन रशीद के साथ किया जाएगा, किसी भी सेवा /उत्पाद के साथ किसान को रशीद देना अनिवार्य है ।

11. Agromitra केन्द्र पर किसानों के लिए उपलब्ध सभी उत्पादों एवं सेवाओं की अधिकतम कीमत /सेवा शुल्क **Agromitra** तय करेगी ।
12. पंद्रह दिनों तक बीज की बिक्री नहीं होने की स्थिति में Agromitra—संचालक की जिम्मेदारी है की वो कंपनी को इसकी सूचना तुरंत दे एवं बीज वापस लेने की आग्रह करे 15 दिनों के अन्दर सुचना देने पर कंपनी ऐसे बीज वापस ले लेगी , 15 दिन वाद सुशिचित करने पर कंपनी बीज वापस लेने के लिए वाध्य नहीं होगी ।
13. Agromitra केन्द्र संचालक को किसी भी प्रकार की वित्तिय सहायता देने के लिए **Agromitra** वाध्य नहीं है , परन्तु **Agromitra** केन्द्र सूचारू रूप से चलाने हेतु आवश्यक व्यवस्था में Agromitra केन्द्र संचालक की सहायता करेगी ।
14. Agromitra — संचालक जो भी खरीद बीक्री करेगा उसका मासिक रूप से हिसाब —किताब करना अनिवार्य है ।
15. Agromitra —संचालक अपने Agromitra केन्द्र से सम्बंधित सभी किसानों का विवरण कंपनी को नियमित रूप से भेजेगे , किसानों को मिलने वाली सभी प्रकार की सुविधाओं का पूरा ब्योरा रखना Agromitra—संचालक की जिम्मेदारी है, कंपनी के द्वारा मागे जाने पर सम्पूर्ण ब्योरा प्रस्तुत करना होगा ।
16. Agromitra केन्द्र पर कंपनी के द्वारा बनाया गया एंड्राइड एम्लीकेशन , Agromitra इनस्टॉल किया जाएगा तथा इससे सम्बंधित पूरा प्रशिक्षण कंपनी के तरफ से दिया जाएगा ।
17. **Agromitra** के द्वारा आयोजित सभी बैठकों /प्रशिक्षणों में Agromitra —संचालकों का हिस्सा लेना अनिवार्य होगा ।
18. द्वितीय पक्ष कंपनी (**Agromitra**) के द्वारा दिए गये सभी निर्देशों का पालन करेगी ।

#### 19. निम्नलिखित परिस्थितियों में Agromitra केन्द्र चलाने की अनुमति रद् कर दी जायेगी ।

- 1 कंपनी के अनुमति के बिना Agromitra केन्द्र के माध्यम से किसी भी प्रकार की गतिविधि चलाने पर ।
- 2 कंपनी के अनुमति के बिना Agromitra केन्द्र के माध्यम से किसी भी प्रकार की अतिरिक्त सेवा या उत्पाद उपलब्ध करवाने पर ।
- 3 Agromitra—संचालन के द्वारा किसान के साथ किसी भी प्रकार का दुव्यवहार करने पर ।
- 4 Agromitra—संचालन के द्वारा किसानों के साथ किसी प्रकार की धोकाधारी किए जाने पर ।
- 5 लगातार 3 महीने या उससे ज्यादा तक क्रय विक्रय एवं भुगतान की समय सीमा नहीं पालन की स्थिति में ।

- 6 Agromitra - संचालन के किसी भी प्रकार की राजनितिक गतिविधि में शामिल होने पर।
20. किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर Agromitra केन्द्र चलाने की अनंमति रद् कर दी जाएगी तथा साथ ही साथ **Agromitra** की तरफ से सख्त कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।
21. किसी भी मतभेद का निपटारा रॉची न्यायालय में होगा।
22. Agromitra केन्द्र पर ब्रांडिंग का काम पूरा हो जाने पर दूसरी किसी भी कंपनी का पोस्टर या बैनर लगावाना वर्जित है।
- मेरे द्वारा उपरोक्त नियम एवं शर्तों का स्वीकारोक्ती प्रमाण में मैंने मेरे हस्ताक्षर प्रबंधक के समक्ष किया है।

DATE...../...../20.....

प्रबंधक का हस्ताक्षर  
**Agromitra**

(WITH STAMP)

मैं आवेदनकर्ता सत्यनिष्ठ से घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त नियम एवं षर्तों का स्वीकार करनें संबंधि एकरार रूप में दिये गये क्रमांक संख्या 1 से 22 तक विवरण मैंने पूर्ण होश हवास में सोच-समझ कर हस्ताक्षर किया हूँ किसी भी प्रकार की जानकारी गलत नहीं है।

---

AUTHORIZED SIGNATORY  
**Agromitra**  
(WITH STAMP)

---

PROPRIETOR  
AUTHORIZED SIGNATORY  
(WITH STAMP)

गवाह : नाम पता एवं हस्ताक्षर

1.

2.